संख्या-1121/2026/171/22-2-2026-17(24)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 20 अगस्त, 2026

विषयः-केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार पुत्र गंगादीन कुरील, निवासी जनपद-कानपुर नगर की स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 के पत्र संख्या-4745/प्रो(6)/260/(गणतंत्र दिवस-26), दिनांक 10.02.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बंदी अनिल कुमार पुत्र गंगादीन कुरील (दिनांक 26.01.2026 तक बन्दी की आयु 64 वर्ष 05 माह 16 दिन) 104/84 सीसामऊ, थाना-बजरिया, जनपद-कानपुर नगर का निवासी है। बंदी द्वारा दिनांक-13.05.1983 को अपने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पुरानी रंजिश के विवाद के कारण चाकू से मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कर दी। बंदी को उक्त अपराध हेतु सत्र परीक्षण संख्या-304/1983 में भा0द0वि0 की धारा-302/34 के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश-03, कानपुर नगर के आदेश दिनांक 24.12.1983 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, जिसे मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश दिनांक 09.05.2018 द्वारा उक्त सजा को यथावत रखा गया। बंदी द्वारा दिनांक 26.01.2026 तक अपरिहार 07 वर्ष, 11 माह, 03 दिन एवं सपरिहार 09 वर्ष, 03 माह, 02 दिन की सजा मात्र भोगी गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा उल्लिखित किया गया है कि बंदी की समयपूर्व रिहाई के संबंध में गम्भीरता पूर्वक विचार करते हुए शासनादेश संख्या-564/2018/1106/22-2-2018-07जी/2018, दिनांक 01 अगस्त, 2018 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या-120/2021/1382/22-2-2021-07जी/2018, दिनांक 28 जुलाई 2021, संशोधित शासनादेश संख्या-52/2022/1240/22-2-2022-07जी/2018 दिनांक-27.05.2022 के प्रस्तर-12 मे निहित प्राविधानों के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी अनिल कुमार पुत्र गंगादीन कुरील की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नही की गयी है।

3- अतः उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़ में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी अनिल कुमार (बन्दी संख्या-27727) पुत्र गंगादीन कुरील, निवासी जनपद-कानपुर नगर की संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन स्थायी नीति के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-1121/2026/171 (1)/22-2-2026 तद्‌दिनांक....

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, कानपुर नगर।

2- पुलिस आयुक्त, कानपुर नगर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, फतेहगढ़।

4- निजी सचिव, मा0 मंत्री/मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।